Shyama Prasad Mukherjee Govt. Degree College

(A Constituent College of University of Allahabad)
Phaphamau, Prayagraj

website : www.spmau.ac.in **e-mail : spmcollege10@gmail.com**

ADMISSIONS PROCEDURE

प्रवेश प्रक्रिया

Academic Session 2026-27

शैक्षणिक सत्र 2026-27

UNDERGRADUATE (UG) COURSES

स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रम

Admissions to the undergraduate programs at Shyama Prasad Mukherjee Government Degree College (A Constituent Post Graduate College of the University of Allahabad) for the academic session 2026-27 will be based on the scores obtained in the CUET (UG-2026). Additionally, candidates who did not appear in the CUET-UG 2026 (NON-CUET candidates) or those who appeared but did not register for the University of Allahabad can also apply for admission to the undergraduate courses. Admission of NON-CUET candidates in UG Program is according to the availability of seats.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश CUET (UG-2026) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इसके अतिरिक्त, जो अभ्यर्थी CUET-UG 2026 में सम्मिलित नहीं हुए (NON-CUET अभ्यर्थी) या जो सम्मिलित हुए किन्तु इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं हुए, वे भी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। NON-CUET अभ्यर्थियों का प्रवेश सीटों की उपलब्धता के अनुसार होगा।

CUET candidates may seek admission in the subjects for which they passed the CUET-exam as per their eligibility. CUET candidates will be given preference in admission over NON-CUET candidates. Admission of NON-CUET candidates to the UG programs will be based on the merit list prepared by the college on the basis of marks obtained in qualifying exam.

CUET अभ्यर्थी उन विषयों में प्रवेश ले सकते हैं जिनमें उन्होंने अपनी पात्रता के अनुसार CUET परीक्षा उत्तीर्ण की है। CUET अभ्यर्थियों को NON-CUET अभ्यर्थियों की तुलना में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। NON-CUET अभ्यर्थियों का प्रवेश महाविद्यालय द्वारा अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची पर आधारित होगा।

- Prospective candidates interested in seeking admission must carefully review the contents of the Admissions Procedure, along with any notifications, updates, and information provided on the College Website (www.spmau.ac.in).

  प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वेबसाइट (www.spmau.ac.in) पर दिए गए प्रवेश प्रक्रिया के विषय-वस्तु, अधिसूचनाओं, अपडेट और जानकारी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए।

- College follows the guidelines of University of Allahabad for admission in undergraduate programs.

  महाविद्यालय स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

- Admission to all UG Programs of the College for the session 2026-2027 will be done online through the College Website (www.spmau.ac.in) only.

  सत्र 2026-2027 के लिए महाविद्यालय के सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश केवल महाविद्यालय की वेबसाइट (www.spmau.ac.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

ELIGIBILITY CRITERIA:

पात्रता मानदंड:

- The applicants with Science Stream or having Geography as one of the subjects at 10+2/ Intermediate level will be eligible for the B.A. Programme with subject combination having Geography.

  विज्ञान वर्ग के आवेदक अथवा जिन आवेदकों के पास 10+2/ इंटरमीडिएट स्तर पर भूगोल विषय है, वे भूगोल विषय संयोजन के साथ बी.ए. कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

Registration Programme

GENERAL INFORMATION FOR UG ADMISSION 2026

यूजी प्रवेश 2026 हेतु सामान्य जानकारी

- The candidates desirous of seeking admission to various UG programmes should have appeared in CUET-UG-2026.

  विभिन्न यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को CUET-UG-2026 में सम्मिलित होना चाहिए।

- The candidates who have not appeared in CUET-UG-2026 may also be eligible for admission in B.A./B.Sc./B.Com. Programs in the College. Such candidates must register on the admission portal of the college website (www.spmau.ac.in). However, admission in the NON-CUET category is subject to the availability of seats.

  जो अभ्यर्थी CUET-UG-2026 में सम्मिलित नहीं हुए हैं, वे भी महाविद्यालय में बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को महाविद्यालय की वेबसाइट (www.spmau.ac.in) के प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। तथापि, NON-CUET श्रेणी में प्रवेश सीटों की उपलब्धता पर निर्भर है।

- A CUET-UG-2026 candidate registered in University of Allahabad is eligible for admission in UG Programs in the College.

  इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंजीकृत CUET-UG-2026 अभ्यर्थी महाविद्यालय के यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र है।

- CUET-2026 aspirants who have not registered themselves in University of Allahabad must register on the admission portal of the college website (www.spmau.ac.in).

  CUET-2026 के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्वयं को पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें महाविद्यालय की वेबसाइट (www.spmau.ac.in) के प्रवेश पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

- CUET-2026 aspirants may register themselves for the domain subject papers for which they passed the CUET-exam as well as for other subjects as per their eligibility.

CUET-2026 अभ्यर्थी उन डोमेन विषय पेपरों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं जिनमें वे CUET परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, साथ ही अपनी पात्रता के अनुसार अन्य विषयों के लिए भी।

Before registering for any UG Course, candidates must familiarize themselves with the Ordinances, Rules, and Regulations of the University of Allahabad available on the university website.

किसी भी यूजी पाठ्यक्रम में पंजीकरण से पूर्व, अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यादेशों, नियमों और विनियमों से परिचित होना अनिवार्य है।

- Reservation policy of the Government of India for admissions in the Central Universities will be strictly followed.

  केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

- As per the eligibility criteria of the university, NTA normalized score of relevant subjects/test will only be considered.

  विश्वविद्यालय के पात्रता मानदंड के अनुसार केवल संबंधित विषयों/परीक्षा का NTA नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही मान्य होगा।

- Ragging in the University of Allahabad and its Constituent Colleges is strictly prohibited as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India. The Orders of the Hon'ble Supreme Court have been communicated by the UGC letter no. F1-1/2006 (CPP-II) dated March 4, 2008. If any incident of ragging is reported it will invite stringent penal action according to law (B.N.S.) and as per the directives of Hon'ble Supreme Court of India.

  इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों में रैगिंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पूर्णतः प्रतिबंधित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश UGC पत्र सं. F1-1/2006 (CPP-II) दिनांक 4 मार्च 2008 द्वारा सूचित किए गए हैं। रैगिंग की कोई भी घटना रिपोर्ट होने पर कानून (बी.एन.एस.) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- Disputes related to admissions shall be under the jurisdiction of the Hon'ble Allahabad High Court of Judicature at Prayagraj, only.

  प्रवेश से संबंधित विवाद केवल माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज के अधिकार क्षेत्र में होंगे।

- At the time of admission, the candidate must have passed the 10+2/Intermediate/Equivalent examination. The candidates who are still awaiting their result due to any reason such as compartment etc. **shall not be eligible for admission in UG courses.**

  प्रवेश के समय अभ्यर्थी को 10+2/इंटरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो अभ्यर्थी किसी भी कारण जैसे कम्पार्टमेंट आदि के कारण अभी भी परिणाम की प्रतीक्षा में हैं, **वे यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।**

- The candidate claiming admission under reserved category must have a recent Certificate (appropriate to get admission to Central Educational Institutions, under the Government of India) issued from the competent authority.

  आरक्षित श्रेणी में प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र (भारत सरकार के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए उपयुक्त) होना चाहिए।

- Applicant should submit ABC (Academic Bank of Credits) ID at the time of registration. The ABC ID can be generated at www.abc.gov.in.

  आवेदक को पंजीकरण के समय ABC (एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स) आईडी जमा करनी होगी। ABC आईडी www.abc.gov.in पर बनाई जा सकती है।

- Kindly visit the college website (www.spmau.ac.in) regularly for updates regarding cut off merit, date of admission and physical verification.

  कट ऑफ मेरिट, प्रवेश की तिथि और भौतिक सत्यापन के संबंध में अपडेट के लिए कृपया नियमित रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट (www.spmau.ac.in) देखते रहें।

- All admissions are provisional and subject to the physical verification of the original documents by the physical verification/admission committee of the college. Candidate's presence is must at the time of offline physical verification.

  सभी प्रवेश अनंतिम हैं और महाविद्यालय की भौतिक सत्यापन/प्रवेश समिति द्वारा मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के अधीन हैं। ऑफलाइन भौतिक सत्यापन के समय अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

Only for Non-CUET Candidates

Academic Session 2026-27 — Registration for UG Program

शैक्षणिक सत्र 2026-27 – यूजी कार्यक्रम हेतु पंजीकरण

Who can register?

कौन पंजीकरण कर सकता है?

- The students who appeared in CUET but are not registered with University of Allahabad for any courses/programs.

  वे छात्र जो CUET में सम्मिलित हुए हैं किन्तु किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंजीकृत नहीं हैं।

- The students who appeared in CUET may register for any course as per their eligibility irrespective of the domain subject paper in which they appeared.

  CUET में सम्मिलित छात्र अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, चाहे वे जिस डोमेन विषय पेपर में सम्मिलित हुए हों।

- The students who have not appeared in CUET UG-2026 i.e. NON-CUET candidates may register for any course/program as per their eligibility.

  जो छात्र CUET UG-2026 में सम्मिलित नहीं हुए अर्थात् NON-CUET अभ्यर्थी, वे अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

Important Instructions for Registration

पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

- Candidates must be cautious while filling out Registration Form.

  अभ्यर्थियों को पंजीकरण फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

- Before registering for any UG Course, applicant should ensure that they meet the eligibility criteria.

किसी भी यूजी पाठ्यक्रम में पंजीकरण से पूर्व, आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हैं।

- Applicant can register for either a single program or multiple programs of their choice. For each program, they will register separately with registration fee.
  आवेदक अपनी पसंद के एकल कार्यक्रम या एकाधिक कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वे पंजीकरण शुल्क के साथ अलग-अलग पंजीकरण करेंगे।

Documents Required for UG Admission (2026-27)

यूजी प्रवेश (2026-27) हेतु आवश्यक दस्तावेज़

- CUET UG (2026) Admit Card (Only for CUET-2026 aspirants).
  CUET UG (2026) प्रवेश पत्र (केवल CUET-2026 अभ्यर्थियों के लिए)।
- Class 10, 10+2 marksheet & certificate.
  कक्षा 10, 10+2 की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
- Photo and signature of the candidate in jpg/jpeg format.
  अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर jpg/jpeg प्रारूप में।
- Recent Caste Certificate in Central Government format for EWS/OBC-NCL/SC/ST bearing Certificate numbers & Certificate issuance date.
  EWS/OBC-NCL/SC/ST के लिए केंद्र सरकार के प्रारूप में नवीनतम जाति प्रमाण पत्र जिसमें प्रमाण पत्र संख्या एवं जारी करने की तिथि अंकित हो।
- ABC (Academic Bank of Credits) ID. The ABC ID can be generated at www.abc.gov.in.
  ABC (एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स) आईडी। ABC आईडी www.abc.gov.in पर बनाई जा सकती है।
- The basic details of the applicant such as Name, Mother's Name and Date of Birth must match with the 10th/High School certificate/mark sheet at the time of Registration at the college portal.
  पंजीकरण के समय आवेदक का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि जैसी मूल जानकारी महाविद्यालय पोर्टल पर 10वीं/हाई स्कूल प्रमाण पत्र/अंकतालिका से मेल खानी चाहिए।
- Registration fee (non-refundable) for respective social categories: UR/OBC/EWS — Rs. 300; SC/ST/PwD — Rs. 150.
  संबंधित सामाजिक श्रेणियों के लिए पंजीकरण शुल्क (अप्रतिदेय): UR/OBC/EWS – रु. 300; SC/ST/PwD – रु. 150।

RESERVATION AND POLICY

आरक्षण एवं नियम

In accordance with provision of Section 9 of the University of Allahabad Act, 2005 (Act No. 26 of 2005) seats shall be reserved for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (OBC) category candidates in all subjects/courses for which the Admission Test has been held, as given here under:

Shyama Prasad Mukherjee Govt. Degree College

(A Constituent College of University of Allahabad)
Phaphamau, Prayagraj

website : www.spmau.ac.in **e-mail : spmcollege10@gmail.com**

इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं. 26, 2005) की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार, प्रवेश परीक्षा आयोजित सभी विषयों/पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो निम्नानुसार हैं:

- (i) 15% of the total seats in each subject/course shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste (SC) category.

  (i) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम की कुल सीटों का 15% अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

- (ii) 7.5% of the total seats in each subject/course shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Tribes (ST) category. In case seats reserved for ST category candidates remain vacant on account of non-availability of candidates, the same will be filled by candidates of the Scheduled Caste (SC) category.

  (ii) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम की कुल सीटों का 7.5% अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। यदि ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटें अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहती हैं, तो उन्हें अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

- (iii) 27% of the total seats in each subject/course shall be reserved for candidates belonging to the Other Backward Classes (OBC) category.

  (iii) प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम की कुल सीटों का 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

- (iv) 10% of the total seats shall be reserved for candidates belonging to the Economically Weaker Section (EWS) category.

  (iv) कुल सीटों का 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

B. Kashmiri Migrants: Weightage as per Government of India guidelines shall be given to Kashmiri Migrants. In order to avail this weightage, the candidates shall have to present a certificate from an officer of the Ministry of Education not below the rank of Joint Secretary or equivalent.

B. कश्मीरी प्रवासी: कश्मीरी प्रवासियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारांक दिया जाएगा। इस भारांक का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से नीचे के अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

C. Foreign Nationals/NRI: Foreign Nationals shall be required to apply through the International Students Advisor in accordance with the procedure laid down by the University of Allahabad. The candidate in this case shall not be required to appear in the Admission Test/Entrance Test, but shall be considered for admission on the recommendation of a committee constituted for the purpose, which shall examine the academic credentials and certificates of the candidate before making any recommendation.

C. विदेशी नागरिक/NRI: विदेशी नागरिकों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्र सलाहकार के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा/प्रवेश परीक्षण में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु उन्हें इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा, जो कोई अनुशंसा करने से पूर्व अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की जांच करेगी।

Shyama Prasad Mukherjee Govt. Degree College

(A Constituent College of University of Allahabad)

Phaphamau, Prayagraj

website : www.spmau.ac.in **e-mail : spmcollege10@gmail.com**

Horizontal Reservation in Respective Category

D. Sports Quota: 2% of the total seats in each subject/course shall be allotted under Sports Quota.

D. खेल कोटा: प्रत्येक विषय/पाठ्यक्रम की कुल सीटों का 2% खेल कोटे के अंतर्गत आवंटित किया जाएगा।

E. Person with Disability (Divyang):

E. दिव्यांगजन:

- (i) As per section 32(1) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, all Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five (05) per cent seats for person with benchmark disabilities. Therefore 5% of total seats for this course will be available for person with disability who can pursue this course without any difficulty.

  (i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32(1) के अनुसार, सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पाँच (05) प्रतिशत से कम सीटें आरक्षित नहीं करनी होंगी। अतः इस पाठ्यक्रम की कुल सीटों का 5% उन दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध होगा जो इस पाठ्यक्रम को बिना किसी कठिनाई के कर सकते हैं।

- (ii) A candidate who has a certified disability of not less than 40% in any limb or in orthopaedic structure which, in the opinion of the Medical Board (constituted by the University of Allahabad), amounts to an overall physical handicap of not more than 70% or is a certified Visually impaired or a Hearing impaired, may be admitted to the concerned course/subject, irrespective of his position in the order of merit of the total aggregate score, on the recommendation of the Medical Board.

  (ii) एक अभ्यर्थी जिसे किसी अंग या अस्थि-संरचना में कम से कम 40% की प्रमाणित दिव्यांगता है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की राय में कुल 70% से अधिक शारीरिक विकलांगता नहीं मानी जाती, या प्रमाणित दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित है, उसे चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा पर कुल समग्र अंकों की मेरिट में उसकी स्थिति के बावजूद संबंधित पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश दिया जा सकता है।

- (iii) Seats under this quota shall be filled in order of preference: 1% each reserved for (a) Blindness and low vision; (b) Deaf and hard of hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy; and 1% with benchmark disability under (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from persons under clauses (a) to (d).

  (iii) इस कोटे के अंतर्गत सीटें प्राथमिकता के क्रम में भरी जाएंगी: (a) अंधापन और कम दृष्टि; (b) बहरापन और श्रवण बाधिता; (c) प्रमस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित और पेशी दुर्विकास सहित चलन-बाधा के लिए 1%-1% आरक्षित; तथा (d) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी; (e) खंड (a) से (d) के व्यक्तियों में बहु-दिव्यांगता के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता के साथ 1% आरक्षित।

- (iv) The privilege shall not be given except claimed by the candidate at the time of application. At the time of admission, the candidate shall be required to produce a certificate issued by the Chief Medical Officer of the appropriate District or by the Viklang Kendra, Allahabad, which testifies to his disability and bears an attested photograph indicating his/her disability clearly. (v) All candidates entitled to be admitted under the above quota shall be adjusted against their respective social category.

  (iv) यह विशेषाधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा इसका दावा न किया जाए। प्रवेश के समय, अभ्यर्थी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी या

विकलांग केंद्र, इलाहाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उनकी दिव्यांगता को प्रमाणित करे और उनकी दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला सत्यापित फोटोग्राफ हो। (v) उपर्युक्त कोटे के अंतर्गत प्रवेश के पात्र सभी अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

F. Teacher/Employee Ward Quota (Supernumerary Quota):

F. शिक्षक/कर्मचारी वार्ड कोटा:

- (i) After the completion of admission on the sanctioned seats in each course of study, the wife/husband, sons and daughters of regularly appointed serving and retired teachers/employees of the University, the University Institutes, the constituent Colleges and constituent Institutes (hereafter called 'unit') who produce relevant certificate duly signed by the Registrar (University), the Director (University Institutes), the Principal (constituent Colleges) or the Director (constituent Institutes) shall be admitted on the basis of their relative scores against 5% supernumerary seats (with a minimum of one seat) in each course of study, only in the unit in which such Teachers/Employees are serving or from where they have superannuated.

  (i) प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों पर प्रवेश पूर्ण होने के पश्चात्, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय संस्थानों, घटक महाविद्यालयों और घटक संस्थानों (इसके बाद 'इकाई' कहा गया) के नियमित रूप से नियुक्त सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पति/पत्नी, पुत्र और पुत्रियाँ, जो रजिस्ट्रार (विश्वविद्यालय), निदेशक (विश्वविद्यालय संस्थान), प्राचार्य (घटक महाविद्यालय) या निदेशक (घटक संस्थान) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम में 5% अधिसंख्यक सीटों (न्यूनतम एक सीट) पर उनके सापेक्ष अंकों के आधार पर केवल उस इकाई में प्रवेश दिया जाएगा जहाँ ऐसे शिक्षक/कर्मचारी सेवारत हैं या जहाँ से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है।

- Provided that in case seats remain vacant in a course in the unit, these will be filled by the wards of the employees of other units.

  यह प्रावधान है कि यदि किसी इकाई के किसी पाठ्यक्रम में सीटें रिक्त रहती हैं, तो उन्हें अन्य इकाइयों के कर्मचारियों के वार्डों से भरा जाएगा।

- (ii) It is clarified that the unit mentioned in clause (i) means the University/Constituent Colleges of the University.

  (ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड (i) में उल्लिखित इकाई का अर्थ विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों से है।

- (iii) Teacher/Employee Ward benefit will be granted only when the candidate has made such a claim in the Application Form and presents the required documents and certificates at the time of admission. The order of merit for admission shall be determined on the basis of computed marks of the candidate.

  (iii) शिक्षक/कर्मचारी वार्ड लाभ तभी दिया जाएगा जब अभ्यर्थी ने आवेदन प्रपत्र में इसका दावा किया हो और प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। प्रवेश की मेरिट क्रम अभ्यर्थी के परिकलित अंकों के आधार पर निर्धारित होगा।